



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्र. : 84/2016-17/BOS/01/880

दिनांक : 16.08.2018
 20

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. : 84/2016-17/BOS/01/271 दिनांक 16.05.2016 के क्रम में पी-एच.डी. अध्यादेश क्र. 45/2017 के अंतर्गत मराठी साहित्य विभाग के अध्ययन मंडल (BOARD OF STUDIES) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	विभागाध्यक्ष	:	अध्यक्ष
2.	विभाग के सभी शैक्षिक सदस्य	:	सदस्य
3.	माननीय कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी	:	सुश्री निकिता
4.	माननीय कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	1. डॉ. निशा शेंडे, अध्यक्ष मराठी विभाग, महिला महाविद्यालय, अमरावती 2. डॉ. ए.जी.वाडेकर एसोशिएट प्रोफेसर, मराठी विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल

क्रम संख्या 03 और 04 के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

कादर नवाज़
 (कादर नवाज़ ख़ान)

20/08/18

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ।
4. अध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग को संबंधित को सूचित करने तथा अध्ययन मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित करने के अनुरोध के साथ।
5. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
6. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल